अपर सचिव
–सह–
अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अपील संख्या 56/2024
मो0 महमुद आलम
बनाम
बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड व अन्य।

उपस्थितिः–

मो0 जियाऊल कमर एवं पूजा कुमारी	....	अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री राना ईश्वर चंद्र	....	प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता।
शहजाद हसन खान एवं असलम अंसारी	....	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

मो0 महमुद आलम, पिता–स्व0 मो0 सलीमउद्दीन, ग्राम–हाटगाँव, रामनगर टोला, वार्ड नं0–08, थाना–पलासी, जिला–अररिया ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. No. 16037/2024 में पारित दिनांक 23.10.2024 के निर्णय के आलोक में यह अपील दाखिल किया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह अपील प्रतिवादी सं0–6 को उनके पद से बर्खास्त करने हेतु दायर की गई है। प्रतिवादी सं0–6 की मदरसा इस्लामिया हाशमी, हाटगाँव, मदरसा सं0–387 में सहायक शिक्षक (मैट्रिक प्रशिक्षित) के पद पर वर्ष 2012 में नियुक्त किया गया, जबकि उनकी योग्यता केवल मैट्रिक की है। प्रतिवादी सं0–6 ने वर्ष 2005 में मैट्रिक परीक्षा तथा मौलवी परीक्षा एक ही वर्ष में एवं एक ही माध्यम (पूर्ण कालिक/नियमित) से उत्तीर्ण की। बाद में प्रबंध समिति ने उन्हें वर्ष 2008 में प्राप्त आलिम डिग्री के आधार पर आलिम के पद पर पदोन्नत कर दिया तथा मदरसा बोर्ड ने दिनांक 07.05. 2015 को इसकी स्वीकृति दे दी। प्रतिवादी सं0–6 की नियुक्ति विधिसम्मत नहीं है क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से दो डिग्रियों का लाभ लिया यथा–एक नियुक्ति हेतु एवं दूसरी पदोन्नति के लिए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No. 16037/2024 के माध्यम से उक्त मामले के संबंध में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें दिनांक 23.10.2024 के आदेश द्वारा वैकल्पिक उपचार अपनाने तथा सक्षम न्यायालय के समक्ष जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उपरोक्त के आलोक में, यह अपील स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पास वर्तमान अपील दायर करने का कोई अधिकार (Locus standi) नहीं बनता है क्योंकि अपीलार्थी उस पद के दावेदार नहीं है, जिस पर प्रतिवादी सं0–6 कार्यरत है तथा सेवा संबंधी मामलों में कोई

बाहरी व्यक्ति चुनौती पेश नही कर सकता है। अपीलार्थी एक संदिग्ध प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो अनुलग्नक–R6/6 में संलग्न समाचार की खबर से स्पष्ट होता है। यह अपील निराधार है, अतः इसे खारिज किया जाए।

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09.04.2026 की सुनवाई के दौरान अपीलीय प्राधिकार को बताया कि यह अपील माननीय उच्च न्यायालय, पटना के C.W.J.C. No. 16037/2024 में पारित दिनांक 23.10.2024 के निर्णय के आलोक में दायर की गई है, परंतु इस अपील में मदरसा शिक्षा बोर्ड के किसी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। अतः यह अपील सुनवाई के योग्य नहीं है, इसे खारिज किया जाए।

निष्कर्षः– सुनवाई में उपस्थित पक्षकारों को सुना। सभी पक्षों के मौखिक बहस, लिखित जवाब, संचिका में रक्षित साक्ष्यों के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि इस अपील में मदरसा शिक्षा बोर्ड के किसी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियंत्रण (अपील) नियमावली, 1983 के नियम 3 के मद्देनजर इस अपील में कोई भी Impugned order संलग्न नहीं किया गया है, जिसके कारण यह अपील सुनवाई के योग्य नहीं है एवं अपीलीय प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः वर्तमान अपील को खारिज करते हुए इस मामले को मदरसा शिक्षा बोर्ड को Remand किया जाता है एवं इसकी सुनवाई बंद की जाती है।

ह0/–
(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक......51......
दिनांक...04/05/2026

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष/सचिव, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार, 05, विद्यापति मार्ग, पटना/मो0 महमुद आलम, पिता–स्व0 मो0 सलीमउद्दीन, ग्राम–हाटगाँव, रामनगर टोला, वार्ड नं0–08, थाना–पलासी, जिला–अररिया/सचिव, प्रबंध समिति, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हाटगाँव, पो0–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं0–387)/मो0 खुर्शीद आलम, पिता–मो0 उमेर इकबाल, सहायक शिक्षक, मदरसा इस्लामिया हाशमी, हाटगाँव, पो0–तारबी, थाना–पलासी, जिला–अररिया (मदरसा सं0–387)/जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Vijay 4.5.26

(विजय कुमार)
अपर सचिव–सह–अपीलीय प्राधिकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।